न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

RCMS ID 2012/00127

मिसल संख्या 179/2012

1. रामकन्या उम्र 60 वर्ष पुत्री स्व0 नन्दकिशोर पत्नी किशनलाल जाति लश्करी निवासी बोरखेडा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
2. कमला उम्र 50 साल पुत्री स्व0 नन्दकिशोर जाति लश्करी निवासी नारायण जी निवासी नयानोहा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
3. मोहनी उम्र 48 वर्ष पुत्री स्व0 नन्दकिशोर पत्नी प्रहलाद जाति लश्करी निवासीरंगतालाब तह0 लाडपुरा जिला कोटा
4. नट्टी उम्र 45 साल पुत्री स्व0 नन्दकिशोर पत्नी चौथमल निवासी नयानोहरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

.....वादीगण

—बनाम—

1. बाबू उम्र 58 वर्ष आत्मज स्व0 नन्दकिशो जी
2. छोटू उम्र 55 वर्ष आत्मज स्व0 नन्दकिशो जी
3. मुस0 मन्नी उम्र 80 वर्ष बैवा नन्दकिशोर जी जाति लश्करी नि0 मानपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
4. अमरलाल उम्र 52 आत्मज बाबूलाल गुर्जर निवासी मानपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
5. गुरूबचन सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र निछत्तर सिंह
6. हरचरण सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र निछत्तर सिंह
7. नरिन्दर सिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र निछत्तर सिंह
8. जसविन्दर सिंह उम्र 33 वर्ष पुत्र निछत्तर सिंह जाति सिक्ख निवासीगण पुलिस लाईन बोरखेडा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
9. मांगीलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र धुल्या जी
10. हरीश चन्द्र उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 चुन्नीलाल जी
11. जगदीश उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 चुन्नीलाल जी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
12. जितेन्द्र सिंह पुत्र सरबजीत सिंह जाति जट सिक्ख निवासी मानपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाड़पुरा, जिला कोटा

.....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा, खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बंटवारा, कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 89, 90, 92ए, 53, 187, 188, 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक –22/.5./26

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थीगण ने वाद वास्ते घोषणा, खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बंटवारा, कब्जा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 89, 90, 92ए, 53, 187, 188, 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

वादीगण सगी बहने है। वादीगण के पिता नन्दकिशोर जी का देहान्त अरसे पूर्व हो चुका है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वादीगण के सगे भाई व प्रतिवादीनी नम्बर 3 वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की माता है। नन्दकिशोर के पिता चन्दा जी थे चन्दा जी के एक अन्य भाई धूल्या जी थे, धूल्या जी के पुत्र प्रतिवादी नम्बर 9 है तथा धूल्या जी की पुत्री केसर बाई थी जिसके पति का नाम चुन्नी लाल जी है। केसर बाई के दो पुत्र प्रतिवादी नम्बर 10, 11 है। नन्दकिशोर जी के दो बहने रामकंवरी व पन्नी थी, जिसका देहान्त हो चुका है।

ग्राम मानपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा मे कृषि आराजीयात सेटलमेंट संवत 2038 मे खसरा नम्बर 125 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.74 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 133 रकबा 1.63 है0, व खसरा नम्बर 134 रकबा 1.54 है0, कुल 6 किता की 5.02 है0 स्थित रही है। यह आराजी तत्समय सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2038–57 मे राजस्व रिकोर्ड मे बाबू, छोटू पिसरान नन्दकिशोर, रामकन्या, कमला, मोहनी, नट्टी पुत्रियां नन्दकिशोर व मुस0 मन्नी बैवा नन्दकिशोर 1/6 हिस्सा बराबर रामकंवरी, पन्नी पुत्री चन्दा 1/3 बराबर हिस्सा, मांगीलाल पुत्र व केसरी पुत्री धुल्या हिस्सा 1/2 बराबर से राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज थी। उक्त अनुरूप आराजी नन्दकिशोर जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान क्रमशः वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की खातेदारी मे दर्ज की गयी थी। जिस अनुसार उक्त वर्णित आराजियात 6 किता की 5.02 है0 आराजी मे नन्दकिशोर के हक हिस्से 1/6 मे वादीगण की बुआ रामकंवरी व पन्नी का उक्त आराजियात मे 1/3 हिस्सा था। रामकंवरी व पन्नी की मृत्यु हो चुकी है। जिनके हक हिस्से की उक्त वर्णित कुल कृषि आराजियात 1/3 मे वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/21– 1/21 हक हिस्सा निहित होता है।

तत्पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने बिना किसी हक व अधिकार के ही कानून के सर्वथा विपरीत जाते हुऐ राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो से मिलीभगत करके विधि विरुद्ध तरीके से बिना कानून सम्मत रजिस्टर्ड दस्तावेज के ही राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2053–54 में उक्त वर्णित आराजियात में से खसरा नम्बर 125 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 127 रकथा 0.53 है, खसरा नम्बर 128 रकबा 0. 74 है) व खसरा नम्बर 134 रकबा 1.14 है० पश्चिमी हिस्सा कुल चार किता की 2. 51 है0 को पृथक–राजस्व रिकॉर्ड में अकेले स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया और वादीगण व रामकंवरी, पन्नी का तथा प्रतिवादनी नम्बर–3 का नाम विलोपित करवा दिया। तथा शेष खसरा नम्वर 129 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर–133 रकथा 1.63 है0, व खसरा नम्बर 134 रकबा 0.40 है0 (पूर्वी हिस्सा) कुल तीन किता की 2.51 है0 आराजी को प्रतिवादी नम्बर 9, 10, 11 दर्ज करवा दिया। जबकि चूंकि वादीगण के पिता नन्द किशोर जी के हक हिस्से की रही आराजी –हिस्से 1/6 में वादीगण प्रत्येक का 1/42–1/42 वां –हक हिस्सा निहित था तथा रामकंवरी व पन्नी के हिस्से वाली आराजियात 1/3 में भी वादीगण प्रत्येक का 1/21–1/21 वा हक हिस्सा कानूनन होता है। उक्त प्रकार से प्रत्येक वादीगण को 1/42, 1/21 = 1/14 वा हक हिस्सा कानूनन दर्ज रहना चाहिए था।

उक्त अनुरूप प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा स्वयं का नाम विवादित आराजिया के राजस्व रिकॉर्ड में चार किता की 2.51 में वादीगण का नाम विलोपित करवाकर स्वयं का नाम दुर्भावना पूर्वक दर्ज करवा लिये जाने के पश्चात बाबू प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपनी दर्ज हिस्से आराजी का बैचान प्रतिवादी नम्बर–4 के नाम से कर दिया तथा बाद में प्रतिवादी नम्बर–2 द्वारा भी सर्वथा दुर्भावना से अपनों दर्ज हिस्सा आराजी का बैचान प्रतिवादी नम्बर–5 लगायत 8 के पक्ष में कर दिया, जिसका प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को कोई भो हक व अधिकार नहीं था। और न उक्त प्रकार के बैचान से प्रतिवादी क्रम–4 व प्रतिवादी नम्बर–5 लगायत 8 को ही किसी प्रकार के मालिकाना हक स्वामित्व मिल सकता है, क्योकि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को उक्त वर्णित आराजियात को विक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी नम्बर 4 व प्रतिवादी नम्बर 5–लगायत 8 के पक्ष में करने का नहीं था। विक्रय की गयी सम्पूर्ण आराजियात 2. 51 है0 मे वादीगण का उक्त वर्णित हक हिस्सा निहित चला आ रहा है। शेष 2.51 है0 का बेचान भी प्रति. 9. 10. व 11 द्वारा प्रति. न. 12 के पक्ष में कर दिया है जो वर्तमान में प्रति नं. 12 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

वादीगण को अभी उक्त बाबत जानकारी करने पर हल्का पटवारी व अन्यों से अभी अभी जानकारी मिली है कि प्रतिवादी नम्बर 9 मांगीलाल द्वारा अन्य प्रतिवादी नम्बर –1, 2 व 10–11 से मिलीभगत करके, बिना किसी हक अधिकार के ही पूर्व में न्यायालय ए०सी०एम० मुख्यालय कोटा के यहां वाद संख्या– 252/88 बउनवान मांगीलाल बनाम बाबू आदि का दायर कर उसमें से वादीगण का हक हिस्सा बिना वादीगण की सहमति व स्वीकृति के ही अन्य प्रतिवादी नं० 1 व 2 के नाम से हस्तान्तरण कर दिए जाने बाबत निर्णय/डिक्री जारी करवा ली। उक्त वाद, निर्णय व डिक्री की कोई भी जानकारी न तो वादीगण को कभी रही, न वादीगण ने उक्त वाद में अपना पक्ष ही किसी प्रकार से रखते हुये अपना हिस्सा छोडने बाबत कथन किए है और न कोई एडवोकेट ही नियुक्त किया है। वस्तुतः उक्त वाद की कोई भी जानकारी वादीगण को पूर्व में कभी भी नहीं थी, उक्त की जानकारी अभी हाल में ही होने पर वादीगण उक्त वाद मे पारित निर्णय व डिक्री व अन्य कार्यवाही को निरस्त करने हेतु अपील आदि कर रही है।

वादीगण व रामकंवरी, पन्नी द्वारा कभी भी कोई ऐसा विधि सम्मत रजिस्टर्ड दस्तावेज किसी के पक्ष मे कभी भी निष्पादित/आलेखित कर रजिस्टर्ड नही करवाया है कि जिससे वादी गण के हक हिस्से को विलोपित किया जा सके या वह समाप्त किये जाने बाबत कोई आदेश, निर्णय अथवा डिक्री पारित हो सके।
प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 8 व प्रतिवादी नं0 9 ता 12 स्वयं का नाम विवादित आराजियात मे दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से विवादित आराजियात को खुर्द–बुर्द करने के प्रयास मे लगे हुये है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

1. उक्त वर्णित आराजी मे इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये वादीगण का नाम वादीगण के हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा करते हुये तदानुसार बंटवारा करते हुये वादीगण व प्रतिविादीगण का नाम पृथक–पृथक खातेदारी मे दर्ज किये जाने बाबत डिक्री फरमावे।
2. उक्त वर्णित ग्राम मानपुरा की आराजी कुल 6 किता की 5.02 है0 मे बनने वाली वादीगण के हक हिस्से का पृथक से मौके पर प्रतिवादी 1 लगायत 12 से कब्जा दिलवाया जावे।
3. प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 12 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से इस आशय से पाबंद किया जावे कि वह उक्त वर्णित विवादित आराजियात को किसी प्रकार से विक्रय, रहन, हस्तान्तरण, विक्रय, खुद–बुर्द आदि न तो स्वयं करे और न अपने कर्मचारियों से करवाये।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 8, की ओर निम्न लिखित जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि–

वादीगण का विवादित आराजी मे दिनांक 28.10.1989 के पश्चात से कोई हिस्सा नही रहा, क्योंकि वाद संख्या 252/88 मे वादीगण ने अपना हिस्सा अपने दोनो भाईयों बाबू एवं छोटू के पक्ष में त्याग कर दिया तथा नन्दकिशोर जी की जमीन मे अपना कोई हिस्सा लेने से मना कर दिया जिसके आधार पर न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा ने उक्त वाद संख्या 252/88 दिनांक 28.10.89 को निर्णित कर दिया। इस प्रकार दिनांक 28.10.89 से वादीगण का विवादित आराजी मे कोई हिस्सा नहीं रहा। वादीगण ने आज तक दिनांक 28.10.89 के निर्णय एवं डिक्री मांगीलाल बनाम छोटू बाबू वगैरा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है। तथा उक्त निर्णय की पालना में बंटवारा अन्तिम डिक्री के आधार पर हुआ है, जो सर्वथा विधी सम्मत है। इस प्रकार गत 23 वर्षों से वादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नही रहा है।
राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम न्यायालय के निर्णय की पालना मे हटाया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा अपने खातेदारी भूमि को 10 वर्ष पूर्व ही विक्रय कर दिया था जिसकी जानकारी वादीगण को प्रारम्भ से ही थी ।

वादीगण ने न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा के यहाँ वाद संख्या 252/88 में जवाब दावा दिया है, तथा अपना वकील भी किया है, इस प्रकार अब वादीगण 252/88 यह कथन करने से एस्टोप्ड है कि वादीगण को वाद क्रमांक 252/88 की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होने कोई वकील नहीं किया हो। वादीगण का यह कथन भी सर्वथा असत्य है कि वादीगण को उक्त वाद की जानकारी नही रही हो। दिनांक 29.4.89 के जवाब दावे पर वादीगण की निशानी अंगूठा एवं उनके वकील के हस्ताक्षर है, इस प्रकार वादीगण को दिनांक 29.4.89 के ही पूर्ण जानकारी है। वादीगण ने आज तक भी पूर्व वाद के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की है, निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.89 के विद्यमान रहते हुये प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.89 रेसज्यूडिकेटा का असर रखते हुये है, इसलिये इस सम्माननीय न्यायालय को दिनांक 28.10.89 के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने का अधिकार भी नही है।
प्रतिवादी क्रम 4 एवं 5 लगायत 8 के पक्ष मे किये गये विक्रय को निरस्त करने का भी इस सम्माननीय न्यायालय को कोई अधिकार नही है। विक्रय पत्र को निरस्त करने में सिविल न्यायालय ही सक्षम है। वादीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय पारित किये जाने से कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

AD-A 2012/00127 R 2012/00128-17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

प्रतिवादीगण क्रम 9 लगायत 12 की ओर निम्न लिखित जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि–

प्रतिवादी नं० 9 द्वारा उक्त वर्णित आराजी के विभाजन हेतु एक वाद संख्या 252/88 बउनवान मांगीलाल बनाम बाबू वगैराह न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त वाद में इस वाद के वादीगण बहैसियत प्रतिवादी नं0 3, 4, 5 एवं 6 के रूप में पक्षकार थी, उक्त वाद में रामकन्या, कमला, मोहनी, नट्टी, मन्नी तथा रामकंवरी ने दिनांक 29.04.89 को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया तथा उक्त आराजी में अपने हिस्से को बाबू एवं छोटू पिसरान, नन्दकिशोर के हक में छोड़ने तथा उनके हिस्से की आराजी को बाबू एवं मदन (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के खाते दर्ज कर दिये जाने बाबत निवेदन किया जिस पर माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा ने दिनांक 28.10.89 को निर्णय पारित कर उक्त संपूर्ण आराजी का विभाजन करने एवं उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा बाबू एवं छोटू (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) तथा 1/2 हिस्सा मांगीलाल, हरीशचन्द एवं जगदीश (प्रतिवादी संख्या 9,10, व 11) के खाते दर्ज करने एवं तदनुसार विभाजन करने के आदेश दिये तत्पश्चात उक्त वाद संख्या 252/88 में दिनांक 18.12.1995 को विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी की गई। जिसके अनुसार ख0नं0 129 रकबा 0.48 है०, ख०नं० 133 रकबा 1.63 है० तथा ख०नं० 134 रकबा 0.40 है०, पूर्वी को प्रतिवादी नं0 9,10 एवं 11 के पृथक से खाते दर्ज करने के एवं ख०नं० 125 रकबा 0.10 है०, ख०नं० 127 रकबा 0.53 है०, ख0नं0 128 रकबा 0.74 है०, तथा ख०नं० 134 रकबा 1.14 है० पश्चिमी को प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पृथक से खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान किये उक्त डिक्री की पालना में उक्त खाते का राजस्व अभिलेख में विभाजन किया गया एवं न्यायालय के निर्णय के अनुसार ख०नं० 129 रकबा 0.48 है०, ख0नं0 133 रकबा 1.63 है० एवं ख०नं० 134¢274 रकबा 0.40 है० कुल 2.51 है०, आराजी प्रतिवादी नं0 9.10 एवं 11 के खाते दर्ज कर दी गई तथा ख०नं० 125 रकबा 0.10 है०, ख0नं0 127 रकबा 0.53 है०, ख0नं0 128 रकबा 0.74 है० तथा ख०नं० 134 रकबा 1.14 है० पश्चिमी को प्रतिवादी नं० 1 व 2 के खाते दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार वादीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त आराजी में अपने हिस्से का त्याग किया है तथा अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खाते दर्ज किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया है एवं न्यायालय का उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है इसलिये वादीगण उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है इसलिये प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

वादीगण द्वारा उक्त कथन माननीय न्यायालय से छिपाया है तथा प्रस्तुत वाद में मनगढन्त रूप से मिथ्या कथन किये है। इस प्रकार वादीगण माननीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

RCMSID-A 2012/00127 R 2012/00128-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

के समक्ष क्लीन हैण्ड्स से नहीं आई हैं, इसलिये वे किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, इसलिये प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

वादीगण ने प्रस्तुत वाद विभाजन हेतु प्रस्तुत किया है। जबकि न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा द्वारा पूर्व के वाद संख्या 252/88 में दिनांक 28. 10. 89 का निर्णय पारित कर आराजी का विभाजन कर दिया गया है। इसलिये पुनः विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है तथा पूर्व का वाद इस वाद पर रेसजूडिकेटा का असर रखता है इसलिये प्रस्तत वाद इस आधार पर भी निरस्तनीय है।

यदि वादीगण को पूर्व के वाद में पारित किये गये निर्णय से किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उन्हें उक्त निर्णय को सक्षम अपीलीय न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए। वादीगण पुनः वाद प्रस्तुत करने से एस्टोप्ड है। इसलिये प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

वादीगण उक्त आराजी में अपना कोई हिस्सा मानते हैं तो भी उनका हिस्सा केवल मात्र प्रतिवादी नं० 1 व 2 के हिस्से में आई आराजी तक ही सीमित है प्रतिवादी नं0 9, 10 व 11 के हिस्से में विभाजन से आई आराजी से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। इसलिये प्रस्तुत वाद प्रतिवादी नं0 9 लगायत 12 के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी नं० 9, 10, 11 ने विभाजन के पश्चात उनके हिस्से में आई आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.98 को प्रतिवादी नं0 12 को विक्रय कर दिया एवं उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी नं0 12 के खाते दर्ज है तथा उक्त आराजी का प्रतिवादी नं० 12 सद्भावी क्रेता है एवं बवक्त खरीद से खातेदार एवं काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिये वादीगण प्रतिवादी नं0 9, 10, 11 व 12 के विरूद्ध कोई सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसलिये प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह तथ्य आलेखित किया है कि प्रतिवादी नं० 1 ने अपने हिस्से में दर्ज आराजी को प्रतिवादी नं0 4 को तथा प्रतिवादी नं0 2 ने अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी नं0 5 लगायत 8 को विक्रय कर दिया है। जब तक वादीगण प्रतिवादी नं0 4 एवं प्रतिवादी नं० 5 लगायत 8 के पक्ष में आलेखित विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती तब तक उन्हें प्रस्तुत वाद पेश करने का अधिकार नहीं है, अर्थात विक्रय पत्रों को निरस्त कराये बिना प्रस्तुत वाद मेन्टेनेबल नहीं है. रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, इस प्रकार प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से चलने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

वादीगण ने प्रस्तुत वाद में कब्जा दिलवाये जाने की प्रार्थना की है दिनांक 28.10.89 को न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा द्वारा वाद संख्या 252/88 में निर्णय पारित होने के उपरांत वादीगण का उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है, कानूनन कब्जा प्राप्त करने के वाद की कानूनी अवधि 12 वर्ष है एवं 12 वर्ष पश्चात कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता प्रस्तुत वाद लगभग 23 वर्ष बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है इसलिये प्रस्तुत वाद इस आधार पर भी चलने योग्य नहीं है।

निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया वादीगण ग्राम मानपुरा की 6 किता की 5.02 है० आराजी पर अपने हक खातेदारी की घोषणा करवाकर बंटवारा करवाने की अधिकारी है।

वादीगण

2. आया वादिगण प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी को किसी को हस्तान्तरित नही करे

वादीगण

3. आया वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

वादीगण

4. आया न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 28.10.89 की विद्यमानता मे प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी

5. न्यायालय सहायक जिलाधीश कोटा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.89 रेसज्यूडीकेटा का असर रखता है।

प्रतिवादी

6. पक्षकार किस सहायता के पात्र है?

बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं सलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं0 1, 2 व 3–

1. आया वादीगण ग्राम मानपुरा की 6 किता की 5.02 है० आराजी पर अपने हक खातेदारी की घोषणा करवाकर बंटवारा करवाने की अधिकारी है?
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी को किसी को हस्तान्तरित नही करे
3. आया वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त तनकियों को साबित करने का भार वादीगण पर है। लेकिन वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य या शहादत प्रस्तुत नही किये गये है। अतः साक्ष्य के अभाव मे तनकी नंबर 1, 2 व 3 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 4 व 5 –

4. आया न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 28.10.89 की विद्यमानता मे प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।
5. न्यायालय सहायक जिलाधीश कोटा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.89 रेसज्यूडीकेटा का असर रखता है।

उक्त दोनों तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चूकि दोनों तनकिया समान प्रकृति की है अतः एकसाथ निर्णित की जा रही है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि पत्रावली मे संलग्न प्रदर्श ए 1 मांगीलाल द्वारा बाबू व अन्य के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 53 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा मे प्रस्तुत किया गया था। जिसमे प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5, 6 क्रमशः रामकन्या, कमला, मोहनी व नटी है।

प्रदर्श ए 2 बाबू व छोटू द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा मे प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र है।

प्रदर्श ए 3 प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5, 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र है जिसमे स्पष्ट अंकित किया गया है कि "प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5, 6 व 7 अपने हिस्से मे दर्ज आराजी को नही लेना चाहिती है। और अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दबा व मे उक्त आराजी को प्रतिवादी क्रम 3, 4, 5, 6 अपने भाई बाबू व छोटू के खाते मे एवं प्रतिवादी क्रम 7 अपने पुत्र बाबू व छोटू के खाते मे दर्ज करवाना चाहती है।"

प्रदर्श ए 4 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा निर्णय दिनांक 28.10.1989 है जिसमे तनकी नं0 2 निम्न प्रकार बनाई गई थी– "क्या प्रतिवादी क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7 व 8 अपने हिस्से मे दर्ज आराजी को नही लेना चाहती है, और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के खाते ही बंधवाना चाहती है। इसका वाद पर क्या असर है।"

स्पष्टतया पूर्व लंबित वाद मिसल नं0 252/88 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 28.10.1989 मे तनकी बनाकर इस तथ्य को निर्णीत किया गया था कि रामकन्या, कमला, मोहनी व नटी हस्तगत आराजी मे अपना हिस्सा नही लेना चाहती तथा अपना हिस्सा अपने भाई बाबू व छोटू के खाते दर्ज करवाना चाहती है। उक्त आधार पर ही न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा द्वारा हस्तगत आराजी मे रामकन्या, कमला, मोहनी व नटी का नाम डिलीट करते हुये इनके हिस्से की आराजी को बाबू व छोटू के खाते दर्ज करने का आदेश दिये थे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे वादीगण द्वारा अंकित किया गया है कि "पूर्व मे न्यायालय ए.सी.एम कोटा के यहां वाद संख्या 252/88 बउनवान मांगीलाल बनाम

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

बाबू आदि का दायर कर उसमे से वादीगण का हिस्सा बिना वादीगण की सहमती व स्वीकृति के ही अन्य प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम से हस्तानान्तरण कर दिये जाने बाबत निर्णय/डिक्री जारी करवा ली गई थी। उक्त वाद निर्णय व डिक्री की कोई भी जानकारी न तो वादीगण को कभी रही न वादीगण ने उक्त वाद मे अपना पक्ष ही किसी प्रकार से रखते हुये अपना हक हिस्सा छोडने बाबत कथन किये है और ना कोई एडवोकेट ही नियुक्त उक्त बाबत कभी किया है। वस्तुतः उक्त वाद की कोई भी जानकारी वादीगण को पूर्व मे कभी भी नही थी।"

पत्रावली मे संलग्न प्रदर्श ए 1, 2, 3, 4 से प्रमाणित है कि वादीगण मिथ्या कथन करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुये है। वादीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा के वाद संख्या 252/88 के तथ्यों के संबंध मे सही तथ्य न्यायालय के समक्ष नही रखे गये है।

उक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि हस्तगत आराजी के संबंध मे विभाजन का वाद पूर्व मे ही न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा द्वारा निर्णित किया जा चुका है। जिसमे वादीगण पक्षकार थे तथा वादीगण की सहमती के आधार पर ही न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 28.10.1989 को निर्णय पारित किया गया था।

उक्त परिस्थितियों मे जबकि हस्तगत आराजी के संबंध मे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही समान पक्षकारों के मध्य निर्णय पारित किया जा चुका है। हमारे विनम्र मत मे न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 28.10.1989 हस्तगत प्रकरण पर रेसजुडिकेटा का असर रखता है।

अतः तनकी नं0 4 व 5 बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

6. पक्षकार किस सहायता के पात्र है?

तनकी नं0 1, 2, 3 विरूद्ध वादी तय की गई है। तनकी नं0 4 व 5 बहक प्रतिवादी तय की गई है। उक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि हस्तगत आराजी के संबंध मे पूर्व मे ही विभाजन का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर से निर्णित हो चुका है। जिसमे वादीगण आवश्यक पक्षकार थे। वादीगण द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुये हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जो रेसजुडिकेटा के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 53, 187, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा